BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-712/2023
(IA Nos. 202/2024, 838/2023, 839/2023)

IN THE MATTER OF:

FARMAN QURESHI ...APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. …RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	BRIEF REPLY BY RESPONDENT NO. 8 IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	

2.	A COPY OF LETTER DATED 19.01.2024 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 24.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
4.	A COPY OF LETTER DATED 29.12.2025 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 03.01.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO-712/2023

(IA Nos. 202/2024, 838/2023, 839/2023)

IN THE MATTER OF:

FARMAN QURESHI **...APPLICANT**

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE & ORS. **...RESPONDENT(S)**

BRIEF REPLY BY RESPONDENT NO. 8 IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 06.10.2025 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

I, NARENDRA PRATAP SINGH aged about 57 S/o RAJESHWAR SINGH, presently posted as Senior Superintendent of Police, Shamli, Uttar Pradesh do here by solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT. OF INDIA 03/11/26

Scanned with OKEN Scanner

2. That, I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present matter, the Applicant has raised grievances against Respondent No. 10, ***M/s Meem Agro Foods Pvt. Limited*** (**'Project Proponent'**), with regard to the operation of its slaughterhouse, alleging non-compliance with the prescribed environmental norms.

4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 06.10.2025 directed as follows:

   "*...3. Learned Counsel for respondents no. 2 and 6 to 9 seeks one months' time for filing of their responses which prayer is allowed.*

   4. List on 05.01.2026 for further hearing..."

II. REPLY IS AS FOLLOWS

5. That, Superintendent of Police, Shamli, vide letter dated 19.01.2024, requested Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar/Shamli to inform about the action taken in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, and further to intimate as to whether any assistance was required from the police department in the present matter.

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No. 3333/17
GOVT. OF INDIA
03

Scanned with OKEN Scanner

A copy of letter dated 19.01.2024 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

6. That, thereafter, vide letter dated 24.12.2025, the Superintendent of Police again requested the Regional Officer, UPPCB, Muzaffarnagar/Shamli to inform the police department about the action taken in the present matter, so that necessary and timely compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal could be ensured.

   A copy of letter dated 24.12.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

7. That, Regional Officer, UPPCB vide letter dated 29.12.2025 has informed the deponent about action taken against ***M/s Meem Agro Foods Pvt. Limited*** (**'Project Proponent'**) in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal.

   A copy of letter dated 29.12.2025 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

8. That, vide letter dated 29.12.2025, it was informed that regular site inspections of the Project Proponent's unit were carried out by the concerned authorities during the period from 18.05.2024 to 08.10.2025. It was further informed that, pursuant to these inspections, punitive actions were taken by the authorities, including the imposition of Environmental Compensation of Rs. 19,50,000/- by UPPCB upon the Project Proponent ***(It is most humbly submitted that the site inspections of the Project Proponent's unit and the actions taken***

NOTARY FARZANA Shamli Tehsil R.No.-13333/17 GOVT.OF INDIA 03/01/

thereupon by the concerned authorities are already on record before the Hon'ble Tribunal and, therefore, are not being repeated here for the sake of brevity).

9. That, the deponent remains duty-bound to take all requisite steps to secure faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal and shall continue to do so in future as well; and it is further most respectfully submitted that, should any assistance of the police department be required by the concerned authorities in the present matter, the same shall be duly extended.

10. Hence, this brief reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

11. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No.-13333/17
GOVT. OF INDIA
03/01/26

3/1/26

DEPONENT

पुलिस अधीक्षक
शामली

Scanned with OKEN Scanner

VERIFICATION

Verified at SHAMLI on this 03 day of January 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 11 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No:-13333/17
GOVT.OF INDIA

03/01/26

DEPONENT

पुलिस अधीक्षक
शामली

ATTESTED 03/01/2026
FARZANA NOTARY
R.No:- 13333/17 SHAMLI

RTI/LTI SIGNATURE OF DEPONENT

NOTARY
FARZANA
Shamli Tehsil
R.No:-13333/17
GOVT.OF INDIA
NOTARIAL NOTARIAL

Sworn before me today about NARENDRA PRATAP SINGH
the deponent is/are identified by Sh. S/o RAJESHWAR SINGH
I have satisfied me/self by examining Present S.S.P Shamli
The deponent who under stand the
contents of the affidavit which has been
read over and explained by me to
the deponent. Fee charged Rs.------ 03/01/26

FARZANA
Advocate/Notary
Distt. Shamli
Regd. No. 13333/17
Exp. Date. 30/6/2027

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-1

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद शामली

पत्रांकःय–401(विविध रिट)/2023 दिनांक जनवरी ,2024

सेवा में,

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
जनपद मुजफ्फरनगर।

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच मे योजित Original Application No. 712/2023(I.A No. 838/2023 & I.A No. 839/2023) फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2023 के अनुपालन में।

कृपया अवगत कराना है कि मीम एग्रो फूडस प्राईवेट लिमिटेड 993 से 1005, कांधला रोड, कैराना जनपद शामली, उत्तर प्रदेश पर पर्यावरण मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए बूचडखाने का संचानल करने के विरूद्व नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच मे योजित Original Application No. 712/2023(I.A No. 838/2023 & I.A No. 839/2023) फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2023 के अनुपालन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने एवं प्रकरण में पुलिस विभाग के सहयोग की आवश्यकता हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

19/1/2024

संलग्नकःयथोपरि।

अपर पुलिस अधीक्षक/
नोडल अधिकारी
रिट सेल
जनपद शामली.

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद शामली

पत्रांकः य–401(विविध रिट)/2023

दिनांक दिसम्बर 24,2025

सेवा में,

प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
जनपद मुजफ्फरनगर।

विषयः नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच मे योजित Original Application No. 712/2023(I.A No. 838/2023 & I.A No. 839/2023) फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2023 के अनुपालन में आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के सम पत्र दिनांक 19.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मीम एग्रो फूडस प्राईवेट लिमिटेड 993 से 1005, कांधला रोड, कैराना जनपद शामली, उत्तर प्रदेश पर पर्यावरण मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए बूचडखाने का संचानल करने के विरूद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच मे योजित Original Application No. 712/2023(I.A No. 838/2023 & I.A No. 839/2023) फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 05.12.2023 के अनुपालन में अपेक्षित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही को इस कार्यालय से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी थी। किन्तु आज दिनांक तक प्रकरण में अपेक्षित कार्यावाही से अवगत नही कराया गया है।

उक्त प्रकरण में मा0 रा०हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में दिनांक 05.01.2026 से पूर्व जवाब दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में की गयी कार्यवाही से इस कार्यलय को तत्काल अवगत कराने का कृपा करें।

संलग्नकःयथोपरि।

24/12/25

अपर पुलिस अधीक्षक/
नोडल अधिकारी
रिट सेल
जनपद शामली,

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-3

Email: romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० / Ref. No. 1123/ओ ए नं० 712/फरमान कुरैशी/शामली/2025

दिनांक / Dated 29-12-2025

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
शामली।

विषयः–**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–712/2023 फरमान कुरैशी बनाम मिनिस्ट्री ऑफ इनवायरमेन्ट फॉरेस्ट एण्ड कलाइमेट चैन्ज एण्ड अदर्स में पारित आदेश दिनांक 06.10.2025 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक–5718/एस0टी0 दिनांक 26.12.2025 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त पत्र के माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–712/2023 फरमान कुरैशी बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एण्ड अन्य के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में अवगत कराना है कि उक्त वाद मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला–शामली के संचालन के विरूद्ध है। उक्त वाद में की गयी कार्यवाही निम्नवत् है–

1. उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 के नाम से कस्बा कैराना, जिला शामली में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में भैंस/भैंसा प्रजाति के पशुओं (क्षमता 600 नग प्रतिदिन) की आधुनिक रूप से स्लाटरिंग कर फ्रोजन मीट का उत्पादन किया जाता है। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सशर्त जल एवं वायु सहमति दिनांक 31.12.2028 तक विधिमान्य है।
2. उद्योग का औचक निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 15.05.2024 एवं राज्य बोर्ड मुख्यालय लखनऊ द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 25.06.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया था तथा उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 के आउटलेट से एकत्रित उत्प्रवाह नमूने की प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रदूषित प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी थी। निरीक्षण के समय उद्योग में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु स्थापित बायो फिल्टर पर जल छिड़काव समुचित रूप से होता हुआ नहीं पाया गया। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को सिंचाई में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही इरेगेशन मैनेजमेन्ट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा उद्योग से लगभग 01 किमी0 दूर स्थित सिंचाई हेतु भूमि दिखाई गयी, जो कि सूखी पायी गयी, जिससे परिलक्षित हुआ कि उद्योग द्वारा उत्प्रवाह का प्रयोग सिंचाई में समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।
3. संयुक्त समिति की संस्तुति के आधार पर उद्योग में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत् जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत उद्योग के विरूद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक एच16194/सी–3/जल–589/2024 दिनांक 27.08.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
4. श्री धन्नी पुत्र बुद्ध व समस्त मौहल्लेवासी निवासी मौहल्ला दरबार खुर्द–रेत्तेवाला व मौहल्ला छड़ियान, वार्ड नं0 13 व 10, कस्बा व तहसील कैराना, जनपद शामली द्वारा दिये गये शिकायती पत्र के क्रम में आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर द्वारा अपने पत्रांक 3422/एसटी/2024 दिनांक 12.11.2024 द्वारा उद्योग मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0, कांधला रोड, कैराना, जिला शामली के निरीक्षण हेतु संयुक्त समिति (उपजिलाधिकारी कैराना, पुलिस क्षेत्राधिकारी कैराना, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कैराना, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामली एवं क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर) का गठन कर जाँच आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में संयुक्त समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 18.11.2024 को किया गया।

क्रमश.....2...

संयुक्त निरीक्षण के समय उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की कुछ इकाईयाँ सुचारू रूप से संचालित नही पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के फाइनल आउटलेट से उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्या के अनुसार प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। तत्क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक 1626/एसटी दिनांक 21.01.2025, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.01.2025 को प्राप्त हुआ, के द्वारा संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार उद्योग के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

5. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में उद्योग द्वारा गन्दगी फैलाये जाने, खून को जमीन में दबाया/उतारा जाना तथा पशु कटान के उपरान्त गोबर आदि को खेत में डालने से दुर्गंध फैलने सम्बन्धी शिकायती प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी शामली के पत्रांक 127/न्यायिक सहायक दिनांक 10.02.2025 के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 15.02.2025 को उद्योग का निरीक्षण किया गया। संयुक्त समिति की आख्या के अनुसार सन्दर्भित उद्योग से निस्तारित उत्प्रवाह को लगभग 1.0 किमी0 दूर उद्योग की स्वयं की भूमि पर सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता पाया गया एवं निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र की इकाईयां संचालित पायी गयी। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित उत्प्रवाह का नमूना एकत्रित किया गया तथा विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार जल नमूने में प्रदूषणकारी प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी।

6. उद्योग से प्राप्त सूचना एवं कार्यालय द्वारा किये गये निरीक्षण एवं संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर उद्योग के विरूद्ध कुल 65 उल्लंघनकारी दिवसों हेतु रूपये 30,000/— प्रतिदिन की दर से रूपये 19,50,000/— पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33ए सपठित धारा 27(2) के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच25675/सी—3/जल—589/मु0नगर/25 दिनांक 12.03.2025 द्वारा सशर्त निक्षेपित किया गया है। उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपये 19,50,000/— में से रूपये 5,00,000/— राज्य बोर्ड के खाते में दिनांक 23.06.2025 को जमा कराये जाने की सूचना प्रेषित की गयी है। अग्रेतर, उद्योग से बकाया पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली भू—राजस्व की भाँति वसूल किये जाने हेतु राज्य बोर्ड के पत्रांक एच29641/सी—3/जल—584/2025 दिनांक 27.06.2025 के माध्यम से जिलाधिकारी, शामली को संस्तुति प्रेषित की गयी है।

7. उक्त उद्योग के विरूद्ध श्री राहुल ठाकुर सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा भैंसों की अवैध कटान और पशु अत्याचार अधिनियम उल्लंघन सम्बन्धी तथ्यों को अंकित करते हुए शिकायत की गयी थी। शिकायत के क्रम में उपजिलाधिकारी कैराना द्वारा तहसीलदार की अध्यक्षता में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर की गठित समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 08.10.2025 को किया गया। निरीक्षण आख्याओं के आधार पर उपजिलाधिकारी कैराना के पत्रांक—2430/एस0टी0 दिनांक 07.11.2025 द्वारा मै0 मीम एग्रो फूड्स प्रा0लि0 को नोटिस प्रेषित कर निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त सूचना आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

(गीतेश चन्द्रा)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—

1— पुलिस अधीक्षक महोदय, शामली को उनके पत्रांक य—401(विविध रिट)/2023 दिनांक 24.12.2025 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2— मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

D/Letter-2025)2